न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी— गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या— 13/2024

1. मदनलाल पुत्र दामदास जाति स्वामी साकिन 3 डी. डब्ल्यू. एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व. रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः— श्री भरतसिंह बैनिवाल अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय दिनांक—27.08.2024

अपीलांट मदनलाल पुत्र दामदास जाति स्वामी साकिन 3 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर विरूद्ध निर्णय तहसीलदार (राजस्व) रावतसर दिनांक 23.02.2024 प्रकरण संख्या 74/2023 बअनवानी स्टेट बनाम मदनलाल को निरस्त करवाने बाबत अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. अपीलकृत निर्णय विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के खिलाफ होने की वजह से निरस्त योग्य है।

2. तहसीलदार राजस्व रावतसर ने अपीलान्ट को दफा 22 उपनिवेशन अधिनियम के तहत एक नोटिस दिया कि आप ने रोही मौजा 3 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर के प0 नं0 194/3 (22) के किला नं. 11 [illegible] 14, [illegible]/1, 16/1, 17 ता 24 की 2.946 है0 प0 नं0 194/51 (23) किला नं. 20 [illegible].178 है0 कुल तादादी 3.124 है0 भूमि कमाण्ड अराजीराज भूमि सम्वत 2080 फसल रबी गेहू/सरसो [illegible] की नाजायज काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट/गैरसायल ने हाजिर अदालत आकर जवाब पेश किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:56:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 27.08.2021 के अनुसार विवादित भूमि सहित कुल 55 बीघा भूमि को अपीलान्ट एवं बाबूलाल, रामप्रताप, देवीलाल के पक्ष में ब0हि0ब0 रकबा को बहाल रखने के आदेश हुए, जिसकी नियमानुसार राशि जमा करवाने का आदेश उपखण्डाधिकारी रावतसर को दिये गये, जिसकी पालना में कार्यवाही आज भी जैरकार है इसलिए मेरे खिलाफ की गई कार्यवाही ड्रोप की जावें लेकिन तहसीलदार राजस्व रावतसर ने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर गौर नहीं किया गया तथा विधि विरूद्ध उक्त निर्णय पारित किया गया है, जो कि निरस्त योग्य है ।

3. विवादित भूमि से सम्बन्धित वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलैक्टर नोहर मिसल नं. 451 सन् 1987 निर्णय दिनांक 23.03.1989 को 15 एएए के तहत बालिग पुत्र होने के रामप्रताप, मदनलाल, बाबुलाल व देवीलाल अपीलान्ट को ब0 हि0 ब0 चक 3 डी.डब्ल्यू. एम. तहसील रावतसर के प0 नं0 194/43 के किला नं. 6 ता 25 प0 नं0 194/51 के किला नं. 1 ता 4, 17 ता 13, 18 ता 23 प0 नं0 194/52 किला नं. 1 ता 3 प0 नं. 194/44 किला नं. 1 ता 15 की कुल 55 बीघा जिसमें 52 बीघा कमाण्ड व 3 बीघा अनकमाण्ड रकबा भूमि के खातेदारी अधिकार दिये गये थे जिसकी कुल किमत 94050 रूपये तय किये थे लेकिन निर्णय दिनांक 23.03.1989 के आधार पर जो अमल अदामद आदेश जारी हुआ उसमें सहवन अपीलान्ट का नाम दर्ज होने से रह गया था जिस पर रकबा किस्तों क आधार पर खारिज हो गया उसके बाद निर्णय दिनांक 23.03.1989 की पालना में अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया कि किस्ते जमा करवा कर अपीलान्ट एवं रामप्रताप, देवीलाल, बाबुलाल को खातेदारी अधिकार दिये जावे। जिस पर अधिनस्थ अदालत द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की लेकिन बाबुलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने रामप्रताप, मदनलाल, बाबूलाल के पक्ष में निर्णय मानकर दिनांक 13.02.2003 को किस्ते जमा करवा कर खातेदारी दर्ज करने के आदेश पारित किये, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ की अदालत में अपील पेश की जो दिनांक 27.08.2021 को स्वीकार की गई एवं उपखण्डाधिकारी रावतसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2003 निरस्त कर [illegible] अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया कि नियमानुसार [illegible] देवीलाल व रामप्रताप, मदनलाल, बाबुलाल पि0 दामदास [illegible] को बहाल करने के आदेश पारित कर जिसके खिलाफ बाबुलाल ने राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की जो दिनांक 05.12.2023 को विड्रा करने के कारण खारिज हो गई एवं आज भी राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.09 12:56:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ की अदालत के निर्णय दिनांक 27.08.2021 की पालना में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र जैरकार है उसके बावजूद भी मातहत अदालत ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखली करने का निर्णय पारित किया है,जो किसी प्रकार से कानूनी सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है।

4. विवादित भूमि देवीलाल व रामप्रताप, मदनलाल, बाबुलाल पिव दामदास के ब0 हि0 ब0 के कब्जा काश्त में चली आ रही है, जो नियमानुसार उसकी खातेदारी भूमि है उसके बावजूद भी मातहत अदालत ने अतिक्रमी मानकर बेदखल कर खड़ी फसल को कुर्क कर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश पारित किये है जो किसी प्रकार से कानून सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है।

5. निर्णय करने से पूर्व मातहत अदालत ने प्रस्तुत दस्तावजों का गहन अवलोकन नहीं किया यदि पत्रावली का अवलोकन कर निर्णय किया जाता तो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य हैं

6. मातहत अदालत को इस प्रकार कठोर निर्णय पारित करने से पूर्व स्टेट की तरफ से साक्ष्य ली लाकर एवं प्रकरण साबित होने पर ही निर्णय करना चाहिये था प्रस्तुत पत्रावली पर ऐसा कुछ नहीं किया गया इसलिए उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होने की वजय से निरस्त योग्य है।

7. अपीलान्ट ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसकी सजा इस प्रकार का निर्णय हो कानूनन इस प्रकार का कठोर निर्णय पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुये निर्णय पारित करना चाहिये था लेकिन मातहत अदालत ने ऐसा नहीं कर कानूनी भूल की है इसलिए निर्णय निरस्त योग्य है।

8. मातहत अदालत का निर्णय स्वैच्छाचारी मनमाना एवं कानून सम्वत नहीं है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है इसलिए निरस्त योग्य है।

9. मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग आर्डर नहीं है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है इसलिए मातहत अदालत का नि[illegible] योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:56:40 IST
Reason: SelfAttested

10. अपीलान्ट ने मातहत अद[illegible]स्थित आ[illegible]वाब दस्तावेज पेश कर दिया एवं आगामी तारीख पेशी के [illegible] गया ना ही साक्ष्य बाबत कोई सूचना दी गयी ना ही निर्णय होने की कोई जानकारी थी। अब अदालत में जाकर निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त की तो दिनांक 23.02.2024 निर्णय होना बताया तब निर्णय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

की दिनांक 27.03.2024 को नकल प्राप्त कर वकील से सम्पर्क किया तो बताया कि निर्णय के खिलाफ अपील पेश करनी होगी इसलिए जानकारी होते ही आज बीना किसी देरी के अपील पेश की जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

11. अपील अदालत के क्षेत्राधिकार निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 23.02.2024 निरस्त करने का आदेश फरमावे।

अपील प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि सहायक कलक्टर नोहर मिसल नं. 451/1987 निर्णय दिनांक 23.03.1989 को 15 एएए के तहत बालिग पुत्र होने के रामप्रताप, मदनलाल, बाबुलाल व देवीलाल अपीलान्ट को ब0हि0ब0 चक 3 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर के प0 नं0 194/43 के किला नं. 6 ता 25 प0 नं0 194/51 के किला नं. 1 ता 4, 17 ता 13, 18 ता 23 प0 नं0 194 /52 किला नं. 1 ता 3 प0 नं. 194/44 किला नं. 1 ता 15 की कुल 55 बीघा जिसमें 52 बीघा कमाण्ड व 3 बीघा अनकमाण्ड रकबा भूमि के खातेदारी अधिकार दिये गये थे, जिसकी कुल किमत 94050/- रूपये तय किये थे। लेकिन निर्णय दिनांक 23.03.1989 के आधार पर जो अमल अदामद आदेश जारी हुआ, उसमें सहवन से अपीलान्ट का नाम दर्ज होने से रह गया था। जिस पर रकबा किस्तों के आधार पर खारिज हो गया। उसके बाद निर्णय दिनांक 23.03.1989 की पालना में अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया कि किस्ते जमा करवा कर अपीलान्ट एवं रामप्रताप, देवीलाल, बाबुलाल को खातेदारी अधिकार दिये जावे। जिस पर अधिनस्थ अदालत द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की, लेकिन बाबुलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने रामप्रताप, मदनलाल, बाबूलाल के पक्ष में निर्णय मानकर दिनांक 13.02.2003 को किस्ते जमा करवा कर खातेदारी दर्ज करने के आदेश पारित किये, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने राजस्व अपील प्र[illegible]नुमानगढ़ की अदालत में अपील पेश की जो दिनांक 27.08.2021 को स्वीकार [illegible] उपखण्ड अधिकारी रावतसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2003 निरस्त [illegible] दिया एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया कि नियमानसार राशि जमा करवा[illegible] देवीलाल व रामप्रताप, मदनलाल, बाबुलाल पि0 दामदास के पक्ष मे ब0हि0ब0 रकबा को बहाल करने के आदेश पारित करे, जिसके खिलाफ बाबुलाल ने राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की जो दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:56:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

05.12.2023 को विड्रा करने के कारण खारिज हो गई एवं आज भी राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ की अदालत के निर्णय दिनांक 27.08.2021 की पालना में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र जैरकार है। उसके बावजूद भी मातहत अदालत ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखली करने का निर्णय पारित किया है, जो किसी प्रकार से कानूनी सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एंव तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 27.08.2021 की पालना में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर द्वारा दिनांक 28.06.2024 को विवादित भूमि चक 3 डी.डब्ल्यू.एम की कुल 55 बीघा भूमि को बाबूलाल, देवीलाल, रामप्रताप, मदनलाल के पक्ष में बहिस्सा बराबर रकबा बहाल किये जानें के आदेश दिये गये है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर में प्रार्थना–पत्र जैरकार होनें के उपरान्त बेदखली का निर्णय दिनांक 23.02.2024 को पारित किया, जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2024 को पारित निर्णय में भूल कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है एंव अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का निर्णय दिनांक 23.02.2024 को अपास्त किया जाता है एंव पत्रावली तहसीलदार रावतसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि पुनः सुनवाई कर नियमानुसार निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.8.24 को सरेइजलास सुनाया गया

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.09.09 12:56:40 IST
Reason: SelfAttested